न्यायालय कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / 166 / वाचक–कलेक्टर / 2026 अम्बिकापुर, दिनांक 16/06/2026
प्रति,

तहसीलदार

अम्बिकापुर जिला सरगुजा(छ.ग.)

विषयः– अनावेदकगण के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज कराने बावत।

----00----

आवेदिका श्रीमती सावित्री यादव बेवा स्व. बंधन यादव निवासी भिटठीकला महुवाटिकरा तहसील अम्बिकापुर द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भिटठीकला तहसील अम्बिकापुर मे भूमि खसरा कमांक 782, 783, 790 रकबा कमशः 0.680, 0.502, 0.089 कुल रकबा 1.271 हे. भूमि स्थित है। आवेदिका व अनावेदक कमांक–01 पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल निवासी मालती लाईफ स्टाईल महोबा बाजार कोटा रोड रायपुर (छ.ग.) के मध्य उपरोक्त भूमि मे से मात्र 24 डिसमिल भूमि को राशि 3.00 लाख रूपये प्रति डिसमिल के दर पर कुल 72.00 लाख रूपये मे विकय का सौदा हुआ था, परंतु अनावेदक कमांक 02 से 06 अनावेदक कमांक (2) सागर विश्वकर्मा आं. अज्ञात (3) डोमन राजवाड़े आ. प्रभु (4) जीतन विश्वकर्मा आ. अज्ञात (5) आशीष उर्फ बाबा आ. अज्ञात एवं (6) संजय गुप्ता आ. बसंतलाल गुप्ता सभी निवासी भिटठीकला महुआटिकरा तहसील अम्बिकापुर के साथ षड़यंत्र करते हुये आवेदिका के स्वामित्व की सम्पूर्ण रकबा 1.271 हे.(3.14 एकड़) भूमि का धोखाधड़ी करते हुये फर्जी विकय पत्र दिनांक 15.05.2026 को निष्पादित करा लिया गया है। अतः अनावेदकगण के विरूद्व तत्काल संबधित थाने मे प्राथमिकी दर्ज कराते हुये आवेदिका के आवेदन के संबध मे समुचित कार्यवाही की जावे।

02 आवेदिका के आवेदन के संदर्भ मे जांच आपसे एवं अनुविभागीय अधिकारी(रा) अम्बिकापुर से कराई गई। जांच प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका के उपरोक्त शिकायत के संबंध मे मौका जांच प्रतिवेदन, मौका निरीक्षण एवं हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम भिटठीकला तहसील अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा कमांक 782, 783, 790, रकबा 0.680, 0.502, 0.089 हे. कुल खसरा कमांक 03 कुल रकबा 1.271 हे. भूमि सावित्री यादव पिता घुरन के नाम पर दर्ज थी। उक्त भूमि मे से खसरा कमाक 782 रकबा 0.680 हे. मे से रकबा

कलेक्टर सरगुजा (अम्बिकापुर) छत्तीसगढ़

0.097 हे. भूमि बिक्री करने हेतु प्रति डिसमिल 3,00,000.00 रूपये की दर से डोमन राजवाड़े से बात हुई थी, जिसमे 70,00,000.00 रूपये (रूपये सत्तर लाख) दिनांक 12.05.2026 को आ.टी.जी.एस.के माध्यम से खाता मे डाला गया और राशि 2,00,000.00 रूपये रजिस्ट्री दिनांक 14.05.2026 को नगद प्रदान किया गया। किन्तु डोमन राजवाड़े के द्वारा केता पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल के नाम से 24 डिसमिल भूमि के स्थान पर आवेदिका की सम्पूर्ण भूमि रकबा 1.271(3.17 एकड़) भूमि को अंधकार मे रखकर दोषपूर्ण नियत से ऑनलाईन विक्रय कराया गया है। इस प्रकार उपरोक्त कुटरचित निष्पादित विक्रय पत्र केता अनावेदिका पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल निवासी मालती लाईफ स्टाईल महोबा बाजार कोटा रोड रायपुर (छ.ग.) एवं अनावेदक क्रमांक (2) सागर विश्वकर्मा आ. अज्ञात (3) डोमन राजवाड़े आ. प्रभु (4) जीतन विश्वकर्मा आ. अज्ञात (5) आशीष उर्फ बाबा आ. अज्ञात एवं दस्तावेज लेखक (6)कमर कादरी आ. स्व. अब्दुल वाहिद की संलिप्तता प्रतीत होता है।

अतः आपके एवं अनुविभागीय अधिकारी(रा) अम्बिकापुर के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका के स्वामित्व की ग्राम भिट्ठीकला तहसील अम्बिकापुर स्थित उपरोक्त भूमि का पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 12.05.2026 कुटरचित निष्पादित कराये जाने पर अनावेदिका पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल निवासी मालती लाईफ स्टाईल महोबा बाजार कोटा रोड रायपुर (छ.ग.) एवं अनावेदक क्रमांक (2) सागर विश्वकर्मा आ. अज्ञात (3) डोमन राजवाड़े आ. प्रभु (4) जीतन विश्वकर्मा आ. अज्ञात (5) आशीष उर्फ बाबा आ. अज्ञात एवं दस्तावेज लेखक (6)कमर कादरी आ. स्व. अब्दुल वाहिद के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सम्यक धाराओं मे इनके विरूद्व संबधित थाने मे प्राथमिकी दर्ज कराते हुये पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
जिला–सरगुजा

क्रमांक / 167 / वाचक–कलेक्टर / 2026 अम्बिकापुर, दिनांक 16/06 /2026

प्रतिलिपिः–(1) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(2) सहायक संचालक,जिला जनसम्पर्क कार्यालय अम्बिकापुर को समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर सरगुजा (अम्बिकापुर) छत्तीसगढ़

कलेक्टर
जिला–सरगुजा